

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :- प.7 (198)परि/नियम/मु./2010 / 7082

जयपुर, दिनांक :- 02/4/16

कार्यालय आदेश 12/2016

विषय : कार्यालय आदेश संख्या 02/2015 में संशोधन किए जाने बाबत।

विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 07/2016 दिनांक 23.03.2016 में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जाने वाली ट्रैलर (ट्रोल्ली) के पंजीयन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं और इसी आदेश में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जाने वाली ट्रैलर (ट्रोल्ली) को पंजीयन सीरीज भी आरक्षित की गई है। अतः विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 02/2015 दिनांक 16.02.2015 के क्रम संख्या 3 पर वर्णित सारणी में अन्य श्रेणी वाहन हेतु निर्धारित पंजीयन सीरीज में आंशिक संशोधन किया जाकर इस आदेश में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जाने वाली ट्रैलर (ट्रोल्ली) के लिए निम्न सीरीज आरक्षित की जाती है :-

ट्रैलर (ट्रोल्ली)
EV
EW
EX
EY
EZ

उपरोक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार पंजीकृत की जाने वाली ट्रैलर (ट्रोल्ली) को उपर्युल्लेखित पंजीयन श्रेणियां ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें।

७८
(पवन कुमार गोयल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :

क्रमांक :- प.7 (198)परि/नियम/मु./2010 / 7083-90

जयपुर, दिनांक : 02/4/2016

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव ।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण
5. समस्त अपर परिवहन आयुक्त जोन
6. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
7. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)